



उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001

Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135-2669415, फ़ैक्स : 2669384

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा-4(1) (ख) के अन्तर्गत
मैनुअल संख्या 1 से 17 तक की
(संशोधित) सूचना
वर्ष 2022-23



उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001

Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135-2669415, फ़ैक्स : 2669384

कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून (परिवर्तित नाम/डॉचा कार्यालय राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून) से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1) (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व तैयार किये गये मैन्युअल में कतिपय संशोधन/अध्यावधिक सूचना:-

मैन्युअल संख्या: 1/ (धारा-4 (1) (ख) (i)

राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य

कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के स्थान पर शासनादेश संख्या:-571/18(1) /2012-3 (1)2008, दिनांक 11 मई, 2012 के द्वारा राजस्व परिषद उत्तराखण्ड का गठन किया गया है।

विभागीय संरचना



राजस्व परिषद का संगठन



अध्यक्ष राजस्व परिषद

2. सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद

3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद।



आयुक्त (2 मण्डल)

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल

आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल



जिलाधिकारी (13 जनपद)



सबडिविजन (67)

↓

तहसील (110)

↓

उप तहसील (18)

↓

तहसीलदार (114)

↓

नायब तहसीलदार (144)

↓

भू-लेख निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक(पर्वतीय) 165

2. भूलेख निरीक्षक (मैदानी) 47

↓

राजस्व उप निरीक्षक (1216)

↓

लेखपाल (428)

3. उत्तराखण्ड के सब डिवीजन एवं उनके अधीन कार्यरत तहसील/उप तहसीलों का विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	सब डिवीजन का नाम	अधीनस्थ तहसील	उप तहसील	अन्य विवरण
1	टिहरी गढ़वाल	टिहरी	1. टिहरी	-	
			2. घनोली		
			3. कण्डीसौड़ (नवसृजित)		अधिसूचनासं०-89 / XVIII(1) / 2013-2(19) / 2011 दि० 18.01.2013 के द्वारा सृजित
			4. नैनबाग(नवसृजित)		अधिसूचना सं०-1851(2) / XVIII(1) / 2013-2(8) / 2010

				दि० 29.11.2013 के द्वारा सृजित
	प्रतापनगर	1. प्रतापनगर	मदन नेगी (नव सृजित)	अधिसूचना सं०-1119/XVIII(1)/2016-2(15)/ 2014 दि० 01.09.2016 के द्वारा सृजित
	नरेन्द्रनगर	1. नरेन्द्रनगर		
		2. गजा (उच्चीकृत)		अधिसूचना सं०-1736/XVIII(1)/2013-2 (9)/2009 दि० 01.11.2013 के द्वारा उच्चीकृत
			1-पावकी देवी (नव सृजित)	अधिसूचना सं०-706/XVIII(1)/2015 -2(16)/2014 दि० 24.06.2015 के द्वारा सृजित
	घनसाली	1. घनसाली	-	
		2. जाखणीघार		
		3.बालगंगा (नव सृजित)		अधिसूचना सं०-914/XVIII(1)/2015-2 (12)/2014 दि० 16.06.2015 के द्वारा सृजित।
	कीर्तिनगर	1. देवप्रयाग	-	
		2. कीर्तिनगर (नव सृजित)		अधिसूचना सं०-670/XVIII(1)/2016-2 (2)/2010 दि० 14.06.2016 के द्वारा सृजित।
2.	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	1. रुद्रप्रयाग	-
		ऊखीमठ	1. ऊखीमठ 2. बसुकेदार(नवसृजित)	- अधिसूचना सं०-167/XVIII(1)/2014-2 (14)/2013 दि० 14.02.2014 के द्वारा सृजित
		जखोली	1. जखोली	-
3.	हरिद्वार	हरिद्वार	1. हरिद्वार	1-लालढांग (नवसृजित)
		रुड़की	1. रुड़की 2. नारसन (उच्चीकृत)	- अधिसूचना सं०-173/XVIII(1)/2014-2(10)/ 2013 दि० 14.02.2014 के द्वारा उच्चीकृत

		भगवानपुर (नवसृजित)	1. भगवानपुर (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-851(2)/XVIII(1)/2013-2(19)/ 2011 दि० 09.09.2013 के द्वारा सृजित
		शा०सं०-1129/ XVIII(1)/20 15 -03(34)/2014 दि० 28.07.2015 के द्वारा सृजित			
		लक्सर	1. लक्सर	-	
4.	उत्तरकाशी	भटवाडी	1. भटवाडी		
				1-जोशियाड़ा (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-483/XVIII(1)/2015-2(11)/ 2014 दि० 18.05.2015 के द्वारा सृजित
		डुण्डा	1. डुण्डा 2. चिन्वालीसौड़	-	
				1-धौतरी (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-337/XVIII(1)/2015-2(9)/2012 दि० 28. 05.2015 के द्वारा सृजित
		बड़कोट	1. बड़कोट	बर्नीगाढ़ (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-10/XVIII(1)/2017-2(5)/2016 दि० 03. 01.2017 के द्वारा सृजित
		पुरोला	1. पुरोला 2. मोरी	- सांकरी (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-24/XVIII(1)/2017-2 (21)/2016 दि० 04.01.2017 के द्वारा सृजित
5.	चमोली	चमोली	1. चमोली 2. नन्दप्रयाग 3. घाट (उच्चीकृत)	-	अधिसूचना सं०-575/XVIII(1)/2016-2 (1)/2015 दि० 20.10.2016 के द्वारा सृजित अधिसूचना सं०-86/XVIII(1)/2013-2(19)/2011 दि० 18. 01.2013 के द्वारा सृजित
		जोशीमठ	1. जोशीमठ		

	कर्णप्रयाग	1. कर्णप्रयाग	-	
	थराली	1. थराली 2. देवाल (उच्चीकृत)		अधिसूचना सं०-1304 / XVIII(1) / 2016-2(12) / 2015 दि० 03.01.2017 के द्वारा उच्चीकृत
		2. नारायणबगढ़(नवसृजित)		अधिसूचना सं०-553 / XVIII(1) / 2015-2(3) / 2014 दि० 17.04.2015 के द्वारा सृजित
	गैरसैण	1. गैरसैण 2. आदिबद्री (चांदपुर गढी) (नवसृजित)	-	अधिसूचना-सं०-87 / XVIII(1) / 2013-2 (19) / 2011 दि० 18.01.2013 के द्वारा सृजित
	पोखरी	1. पोखरी		
		2 जिलासू (नव सृजित)	-	अधिसूचना-संख्या-1271 / XVIII(1) / 2014-02(4) 2014 दि० 23.09.2014
6.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	1. पौड़ी	-
		चौबट्टाखाल (नवसृजित) शा०सं०-528 / XVIII(1) / 2015-02(3) / 2015 दि० 10.09.2015 के द्वारा सृजित	1. चौबट्टाखाल	-
		लैन्सडौन	1. लैन्सडौन	रिखणीखाल (नव सृजित)
			2. सतपुली	
			3. जाखणीखाल (नव सृजित)	अधिसूचना-सं०-1567 / XVIII(1) / 2016-2 (1) / 2014 दि० 03.01.2017 के द्वारा सृजित
		कोटद्वार	1. कोटद्वार	-
			2. यमकेश्वर	
		श्रीनगर	1. श्रीनगर	-

		धुमाकोट	1. धुमाकोट	-	
			2. बीरौखाल (नव सृजित)		अधिसूचना-सं०-1516 / XVIII(1) / 2016-2 (13) / 2015 टी०सी० दि० 07.12.2016 के द्वारा सृजित
		थैलीसैण	1. थैलीसैण	-	
			2. चाकीसैण (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-846 / XVIII(1) / 2013-09 (1) / 2010 दि० 28.11.2013 के द्वारा सृजित
7.	देहरादून	देहरादून	देहरादून	-	
		विकासनगर	विकासनगर	-	
		ऋषिकेश	1. ऋषिकेश	-	
		डोईवाला (नवसृजित)	1. डोईवाला (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-172(1) / XVIII(1) / 2014-02 (4) / 2013 दि० 14.02.2014 के द्वारा सृजित
		शा०सं०-701 / XVIII(1) / 2014-03(11) / 2011 दि० 27.05.2014 के द्वारा सृजित			
		चकराता	1. चकराता 2. कालसी 3. त्यूणी	-	
8.	नैनीताल	कोश्या-कुटोली	1 कोश्या-कटोली 2. बेतालघाट	-	
		नैनीताल	1. नैनीताल	रामगढ़ (नवसृजित)	अधिसूचना-सं०-1461 / XVIII(1) / 2016-02 (6) / 2014 दि० 21.11.2016 के द्वारा सृजित
		धारी	1. धारी	-	
			2. ओखलकाण्डा (नवसृजित)		अधिसूचना-सं०-51 / XVIII(1) / 2016-02 (14) / 2014 दि० 12.08.2016 के द्वारा सृजित

		रामनगर	1. रामनगर	-	
		हल्द्वानी	1. हल्द्वानी	-	
			2. लालकुआँ		
		कालाढूंगी (नवसृजित) शा0सं0-774/ 18(1)/2016-0 2(15)/2015 दिनांक 29.11. 2016 के द्वारा सृजित	1. कालाढूंगी		
9.	चम्पावत	लोहाघाट	1. लोहाघाट		
			2. बाराकोट(उच्चिकृत)		अधिसूचना सं0-70/XVIII(1)/2014-02(15)/ 2014 दि0 20.01.2014 के द्वारा उच्चिकृत
		चम्पावत (नवसृजित) शा0सं0-468/1 8(1)/2015-03 (17)/2013 दिनांक 04.06. 2015 के द्वारा सृजित	1. चम्पावत	1-मंच (नवसृजित)	अधिसूचना सं0-1283/XVIII(1)/2015-02(13)/ 2014 दि0 03.09.2015 के द्वारा सृजित
				1-पुल्ला गुमदेश (नवसृजित)	अधिसूचना संख्या 1028/18(1)/2014-02(9) /2014 दिनांक 31 जनवरी 2015 ।
		पूर्णागिरी	1. पूर्णागिरी	-	
		पाटी	1. पाटी	-	
10.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़		
		डीडीहाट	1. डीडीहाट		
			2. देवलथल (उच्चिकृत)		अधिसूचना सं0-251/XVIII(1)/2014-02(3)/ 2009 दि0 21.02.2014 के द्वारा उच्चिकृत
			3. कनालीछीना(उच्चिकृत)		अधिसूचना सं0-285/XVIII(1)/2014-02 (3)/2009 दि0 21.02.2014 के द्वारा उच्चिकृत
		धारचूला	1. धारचूला		

		2. बंगापानी (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-88 / XVIII(1) / 2013-2 (19) / 2011 दि० 18.01.2013 के द्वारा सृजित
	मुनस्यारी	1. मुनस्यारी	-	
		2. तेजम (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-1478 / XVIII(1) / 2016-2 (16) / 2016 दि० 23.11.2016 के द्वारा सृजित
	बेरीनाग	1. बेरीनाग	पाखू (नव सृजित)	अधिसूचना संख्या 181 / 18 (1) / 2016-02(6) / 2015 दिनांक 23.05.2016 के द्वारा सृजित
		2. थल (नव सृजित)		अधिसूचना सं०-785 / XVIII(1) / 2014-2 (5) / 2014 दि० 30.09.2014 के द्वारा सृजित।
	गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट	-	
		2. गणाई गंगोली (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-503(2) / XVIII(1) / 2013-2(2) / 2013 दि० 12.09.2013 के द्वारा सृजित
11.	अल्मोड़ा	सल्ट	1. सल्ट खुमाड़	-
			1. मछोड (नव सृजित)	अधिसूचना सं०-443 / XVIII(1) / 2014-02(05) / 2009 दि० 24.09.2014 के द्वारा उप तहसील सृजित
		भिक्यासैण	1. भिक्यासैण	-
			2. स्याल्दे (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-1659 / XVIII(1) / 2013-09(8) / 2009 दि० 07.11.2013 के द्वारा सृजित
		रानीखेत	1. रानीखेत	-
		द्वाराहाट (नवसृजित) शा० सं०-246 / 18(1) / 2016-02(14) / 2015 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा सृजित	1-जालली (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-1780 / XVIII(1) / 2015-02(08) / 2014 दि० 21.01.2016 के द्वारा सृजित
			2-बग्वालीपोखर (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-1406 / XVIII(1) / 2015-02(18) / 2015 दि० 21.01.2016 के द्वारा सृजित

		द्वारा सृजित			
		सितारगंज	1. सितारगंज	नानकमत्ता (नवसृजित)	अधिसूचना सं०-297 / XVIII(1) / 2016 -3(22) / 2015 दि० 19.09.2016 के द्वारा सृजित
		खटीमा	1. खटीमा	-	
13.	बागेश्वर	बागेश्वर	1. बागेश्वर 2. काफलीगैर(उच्चिकृत) 3 दुगनाकुरी (नवसृजित)		अधिसूचना सं०-246 / XVIII(1) / 2014 -2(13) / 2013 दि० 19.02.2014 के द्वारा उच्चिकृत अधिसूचना सं०-38(2) / XVIII(1) / 2013-02 (2) / 2011 दि० 11.09.2013 के द्वारा सृजित
		गरुड़	1. गरुड़	-	
		कपकोट	1. कपकोट	1. शामा (नव सृजित)	अधिसूचना सं०-617 / XVIII(1) / 2013-2 (9) / 2013 दि० 23.10.2013 के द्वारा सृजित
		काण्डा (नवसृजित) शा०सं०-1486 / XVIII(1) / 2012-03 (38) / 2010 दि० 27.05.2013 के द्वारा सृजित	1 काण्डा		
योग	13 जनपद	67 डिवीजन	110 तहसील	18 उपतहसील	

2. विभागीय कार्यकलाप

भू-राजस्व अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अधीन भूमि पर लगाये गये लगान/कर एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों, निकायों एवं उपक्रमों के विभिन्न प्रकार के देयों की बकायेदारों से धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा करना एवं भूमि के कय-विकय सहित अन्य समस्त प्रकार से स्वामित्व में हुए निर्विवाद परिवर्तनों का विधिक प्राविधानों/धाराओं के अधीन भू-अभिलेखों में इन्द्राज कर अध्यावधिक करना एवं उनका समुचित रख-रखाव राजस्व विभाग का प्रमुख कार्य है।

विभिन्न निर्वाचन सम्बंधी कार्यो यथा, पंचायत, स्थानीय निकाय, विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन सुगमता एवं निष्पक्षतापूर्ण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी एवं अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संबन्धित निर्वाचन नियमावलियों के अधीन सौंपे गये दायित्वों का भी निर्वहन करना विभाग का एक विशिष्ट एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है।

राज्य में स्थापित समस्त तहसीलें/उप तहसीलें राजस्व विभाग की सबसे छोटी इकाई है जिसके अन्तर्गत विभिन्न देयों की वसूली हेतु संग्रह अनुभाग, भू-अभिलेखों का रख-रखाव एवं उचित प्रबंधन हेतु भूलेख अनुभाग एवं क्षेत्र भ्रमण में आने वाले समस्त अति विशिष्ट, विशिष्ट महानुभावों की आगवानी वाहन, आवास आदि का प्रबंध, कानून व्यवस्था बनाये रखना, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आवश्यक/शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत करना सहित राजस्व विभाग से संबन्धित अन्य समस्त कार्य तहसील में स्थापित नजारत अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त बंदोबस्त के उपरांत भूमि के स्वरूप परिवर्तित होने पर भू-अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने हेतु रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही आवश्यकतानुसार अभिलेख अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों/सर्वे कार्मिकों द्वारा कराया जाता है साथ ही केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिकारी के रूप में भू-अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के तहत भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जाती है।

राज्य सरकार के विभिन्न शासनादेशों/अधिनियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक/ राजकीय हित में भूमि हस्तांतरण एवं आवंटन हेतु कार्यवाही एवं राज्य के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राजस्व पुलिस को दायित्व सौंपा गया है वहाँ पर राजस्व अधिकारियों एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राजस्व पुलिस के जिला प्रमुख के रूप में दायित्वों का निर्वहन भी राजस्व विभाग का एक प्रमुख कार्य है

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के गठन के पश्चात राज्य के लिए प्रथम अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के रूप में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 522/30-1-2011 दिनांक 1-5-2012 के द्वारा श्री सुभाष कुमार, आई.ए.एस. की नियुक्ति/तैनाती की गई है। तैनाती के फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 1-5-2012 को पदभार ग्रहण किया गया व दिनांक 12-5-2013 तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं।

1. इसके उपरान्त अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून के पद पर शासनादेश संख्या 577/30-1-2013, दिनांक 13-5-2013 के द्वारा श्री एस.के.मुट्टू, आई.ए.एस.की नियुक्ति/तैनाती की गई, जिनके द्वारा दिनांक 13-5-2013 को इस पद पर पदभार ग्रहण किया गया, जो कि दिनांक 31-1-2014 तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं।

2. इसके उपरान्त अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून के रूप में शासनादेश संख्या 154/30-1-2014, दिनांक 21-1-2014 के द्वारा श्री सुभाष कुमार, आई.ए.एस. की नियुक्ति/तैनाती की गई। जिसके फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 1-2-2014 को पदभार ग्रहण किया गया व दिनांक 21-10-2014 तक इस पद पर कार्यरत रहे।
3. इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 1856/30-1/2014, दिनांक 26-11-2014 के द्वारा श्री राकेश शर्मा,आई.ए. एस. को अध्यक्ष राजस्व परिषद् के रूप में नियुक्त/तैनात किया गया है,जिसके फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 27-11-2014 को पदभार ग्रहण किया गया व दिनांक 31-10-2015 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इन्हें सेवा विस्तार देते हुए पुनः शासनादेश संख्या 97/30-1-2016, दिनांक 13-1-2016 के द्वारा अध्यक्ष राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के रूप में नियुक्ति दी गई है, जो कि दिनांक 13-4-2016 तक इस पद पर कार्यरत रहे।
4. इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 668/30-1-2016, दिनांक 13-4-2016 के द्वारा श्री एस०रामास्वामी,आई.ए. एस. को अध्यक्ष राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून के पद पर नियुक्त/तैनात किया गया, जिसके फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 13-4-2016 को पदभार ग्रहण किया गया जो कि दिनांक 30-4-2020तक इस पद पर कार्यरत रहे।
5. शासनादेश संख्या 195/30-1-2020, दिनांक 1-5-2020 के द्वारा श्री ओम प्रकाश, आई.ए.एस. को अध्यक्ष राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के पद पर नियुक्ति/तैनाती दी गई, जिनके द्वारा दिनांक 1-5-2020 को पदभार ग्रहण किया गया जो कि दिनांक अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि 31-5-2022 तक इस पद पर कार्यरत रहे।
6. इसके उपरान्त शासनादेश संख्या 241/30-1-2022,दिनांक 2.6.2022 के द्वारा श्रीमती राधा रतूड़ी, आई.ए.एस. को अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून के पद पर नियुक्ति/तैनाती की गई है, जिनके द्वारा दिनांक 1-6-2022 को पदभार ग्रहण किया गया है।

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड का संरचनात्मक ढाँचा(संशोधित)

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2408/राजस्व/2001, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत राजस्व परिषद् के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय का गठन किया गया। पुनः शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 571/18(1)/2012-03(1)2008, दिनांक 11 मई, 2012 के द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के स्थान पर राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के गठन की स्वीकृति निर्गत की गई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या 161/18(1)/2013-3, दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा पूर्व स्वीकृत ढाँचे को राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड में पुनर्स्थापित/पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड में अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की निम्नानुसार पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई:-

क्र०सं०	पद नाम	स्वीकृत/पुनर्गठित की संख्या	पदों नियुक्ति का स्रोत
1	2	3	4
1	अध्यक्ष	राजस्व 01	अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवा

	परिषद्		संवर्ग से भरा जायेगा
2	सदस्य न्यायिक पदेन आयुक्त एवं सचिव	01	अखिल भारतीय सिविल सेवा संवर्ग/राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों से भरा जायेगा।
3	सदस्य न्यायिक	01	अखिल भारतीय सिविल सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों से भरा जायेगा।
4	उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था)	01	राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भरा जायेगा।
5	उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	01	राजस्व परिषद् सेवा संवर्ग के सहायक राजस्व आयुक्त(प्रशासन) से पदोन्नति द्वारा।
6	सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	01	अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति से भरा जायेगा।
7	स्टाफ आफिसर अध्यक्ष राजस्व परिषद्	01	राज्य प्रशासनिक सेवा से भरा जायेगा।
8	अनुभाग अधिकारी	06	समीक्षा अधिकारी की पदोन्नति से भरा जायेगा।
9	समीक्षा अधिकारी	15	सीधी भर्ती/पदोन्नति
10	सहायक समीक्षा अधिकारी	11	सीधी भर्ती/पदोन्नति
11	नायब तहसीलदार	01	

12	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	08	शासनादेश संख्या 1105 दिनांक 23 जुलाई, 2015 के द्वारा कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को पुनर्गठित कर 08 पद स्वीकृत किये गये।
13	वित्त नियंत्रक	01	लेखा संवर्ग से शासन के वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
14	वित्त अधिकारी (आडिट)	01	लेखा संवर्ग से शासन के वित्त विभागा द्वारा भरा जायेगा।
15	लेखाकार	06	सेवा नियमावली अनुसार
16	सहायक लेखाकार	02	सेवा नियमावली अनुसार
17	वरिष्ठ निजी सचिव	01	-तदैव-
18	अपर निजी सचिव	01	-तदैव-
19	वैयक्तिक सहायक	05	-तदैव-
20	वाहन चालक	04	सीधी भर्ती /आउटसोर्स
21	परिचारक	06	आउटसोर्स

शासनादेश संख्या 956/कृषि-1(41)/2002 दिनांक 2-8-2003 के संलग्नक 8 के अनुसार मुख्य राजस्व आयुक्त/राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून के अधिष्ठान में कृषि सांख्यिकी योजना के अन्तर्गत सृजित/कार्यरत पदों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कृत्य और कार्य
1	डप निदेशक कृषि सांख्यिकी	01	कृषि सांख्यिकी अनुभाग अधिकारी के तौर पर
2	सहायक सांख्यिकी निदेशक	01	भूमि उपयोग सिंचाई सांख्यिकी व फसल सांख्यिकी के क्षेत्रफल

3	अपर सांख्यिकी 4 अधिकारी वर्ग-1	अनुमानों/आंकड़ों को जनपदवार, तहसीलवार संकलन, तकनीकी जांच संबंधी कार्य।
4	कनिष्ठ सांख्यिकी 02 निरीक्षक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग-2	कृषि सांख्यिकीय से संबंधित प्रत्येक कृषि वर्ष के तीनों मौसमों तथा खरीफ, रबी व जायद में समस्त जनपदों के प्राप्त जिनसवार के आंकड़ों का संकलन एवं जांच करने के पश्चात भूमि उपयोगिता के आंकड़े भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करना।
5	डाटा एंट्री ऑपरेटर 01 (सांख्यिकी)	प्रत्येक कृषिस वर्ष के तीनों मौसमों यथा खरीफ, रबी व जायद में कुमाऊ मण्डल के समस्त जनपदों से प्राप्त जिनसवार के आंकड़ों का रख रखाव, संकलन एवं जांच करना। खरीफ एवं रबी की भाव रिपोर्ट के आंकड़े फीड करना। प्रत्येक जनपद से वर्षा संबंधी आंकड़ों का डाटा फीड करना एवं आंकड़े

			तैयार करना।
6	आशुलिपिक	01	पद रिक्त
7	वरिष्ठ सहायक	01	स्थापना संबंधी कार्य
8	कनिष्ठ सहायक	01	प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से संबंधित राज्य स्तरीय समस्त कार्यों का सम्पादन। एफ.टी.ओ. अपलोड करना।
9	वाहन चालक	01	पद रिक्त
10	अनुसेवक	04	पद रिक्त। एक अनुसेवक पी.आर.डी. के माध्यम से तैनात।
	पदों का योग—	17	

7. राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून का मुख्यालय/कार्यालय रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में स्थापित है।

मैनुअल संख्या-2/(धारा-4(1)(ख) (ii)

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।

क.सं. पदनाम शक्तियाँ और कर्तव्य

1. अध्यक्ष राजस्व प्रदेश स्तर पर राजस्व विभाग का विभागाध्यक्ष होने के कारण इनका अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों यथा मण्डल आयुक्त कार्यालयों, जनपद के जिला कार्यालय एवं तहसीलों पर सीधा नियंत्रण है। अध्यक्ष राजस्व परिषद् को विभागीय दायित्वों, प्रशासकीय दायित्वों के अतिरिक्त न्यायिक कार्यों का भी निर्वहन करना होता है। कार्य दायित्व एवं शक्तियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष राजस्व परिषद् एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत है:-